न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील रांख्या :– 38/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आररीएमएस रांख्या :– 2015/00112

उनवान

1. रामजीत
2. ज्ञान सिंह
3. लच्छो

पुत्र/पुत्री चिरगोली जाति जाटव निवासी बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.11.2014 प्रकरण संख्या 203/2012 उनवान रामजीत बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री तालेराम अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–18.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 643 रकवा 02 बीघा 05 विस्वा स्थित ग्राम बांसीखुर्द तहसील भरतपुर जिससे हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 646/0.11, 647/0.10, 648/0.11 किता 03 रकवा 0.32 है0 बनाये गये हैं के 1/3 हिस्से पर वादीगण अपीलाण्ट संवत 2012 से पूर्व काबिज काश्त खातेदार कृषक हैं। संवत 2012 से वादीगण/अपीलाण्ट आराजी पर गौरूसी कृषक दर्ज रिकार्ड हैं। अतः वादीगण को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियग के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलाण्ट को खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार गलत दर्ज कर रखा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2014 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर(राज0)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस, बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद पैरोकार सरकार उपस्थिति नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय कतई गलत दिया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्वज संवत 2012 से ही एवं उससे पहले परभाती गैर मौरूसी और गैर खातेदार रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय खिलाफ अपीलाण्ट किया है जो कतई गलत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि इन्हीं दस्तावेजो पर नत्थो पुत्र भोला पुत्री खूबी को खातेदारी दी है। परन्तु वादीगण अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। इसी प्रकार तनकी संख्या 02, 03, 04, 05 का निर्णय भी त्रुटिपूर्ण है। अपीलाण्ट का दावा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हगने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की गयी हैं। जिनमें वादी के वाद को सिद्ध करने हेतु तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u> – वादी/अपीलाण्ट द्वारा अपने दावे के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं। वह अपूर्ण हैं एवं ना ही उनके द्वारा हस्तगत अपील में ही उक्त दस्तावेज पेश किये हैं। संवत 2012 की नकल जमाबन्दी में गत खसरा नम्बर 643 पर परभाती वगै0 व शरह खाता संख्या 409, व काश्त परभाती बल्द दौजी कौम चमार साकिन देह माफी देन जमीदारान दर्ज हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट ने संवत 2012 के खाता संख्या 409 की नकल जमाबन्दी को पेश नहीं किया गया है एवं ना ही उनके द्वारा परभाती पुत्र दौजी से अपना संबंध ही स्पष्ट किया है। वादी/अपीलाण्ट संवत 2012 की जमाबन्दी में विवादित आराजी को अपने पिता चिरमोली अथवा रामलाल के नाम गौरूसी अथवा गैर मौरूसी इन्द्राज होना कथन करते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे उनके कथनो की पुष्टि होती हो। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, तनकी विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. <u>तनकी संख्या 02</u> – तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती है। विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं।

7. <u>तनकी संख्या 03</u>– जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। वादी/अपीलाण्ट के पिता चिरमोली व दादा रामलाल संवत 2012 की जमाबंदी में गौरूसी/गैर गौरूसी दर्ज रिकार्ड नहीं है। संवत 2012 की जमाबन्दी में परभाती पुत्र दौजी की काश्त अंकित है। अतः तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट पाई जाती है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

8. तनकी संख्या 04– हम अधीनस्थ न्यायालय के तर्क से सहमत हैं। वादी/अपीलाण्ट द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है। जबकि राज्य सरकार के विरूद्ध दावा लाने पर विधि अनुसार 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

9. तनकी संख्या 05 – अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी बाबत् भी हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। बागद्वरत आराजी नगर निगम भरतपुर की स्थानीय सीमाओं में स्थित होने के कारण उस पर गैर खातेदारी से खातेदारी राज्य सरकार की अनुमति से ही दी जा सकती है।

10. अनुतोष :– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। वादी/अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, वादी/अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। लिहाजा हम अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2014 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर